न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2,हरदोई

उपस्थितः जयप्रकाश पाण्डे,

एच 0 जे0 एस 0

सत्र परीक्षण सं0-28/15
अ 0 सं0-816/14
धाराः147,148,302/149, 323/34,
324/34,504,506 भा0 दं0 सं0
थानाः कासिमपुर
राज्य बनाम रामदेव उर्फ छन्नू आदि।

दिनांकः20.03.2018

वादी मुकदमा नवलकिशोर द्वारा प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 में प्रेषित करते हुए प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण रज्जन पुत्र रामपाल द्विवेदी, रामनिवास पुत्र अवधेष कुमार, राकेश कुमार पुत्र दयाशंकर घटना कारित करने में सम्मिलित थे तथा घटनास्थल पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मौजूद थे और सभी लोगों एक राय होकर असलहों की बटो से उसके पिताजी को मारने लगे और जब उसके पिताजी भागे तो पीछे से ईट पत्थर मारते हुए दौड़ाये और जब उसके पिता जी अपने घर में घुसने लगे तो सभी अभियुक्तगण ने ललकारा कि घर में घुसने न पाय गोली मार दो इस पर अभियुक्त रामदेव उर्फ छन्नू ने तमंचे से उसके पिताजी को गोली मार दी और सभी लोग फायरिंग करते हुए और गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस घटना में उसे भी चोटे आयी थी। यह भी कथन किया गया है कि सभी लोगों के खिलाफ थाने में एफ 0 आई 0 आर 0 दर्ज कराया गया था लेकिन पुलिस ने सही विवेचना नही किया और अभियुक्त को लाभ पहुंचाने की नीयत से रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार का नाम विवेचना से निकाल दिया और उनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित नही किया और केवल रामदेव, छोटे उर्फ शिवसरन व अमित कुमार के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। प्रार्थनापत्र में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी का बयान न्यायालय में हो चुका है जिससे रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार की सहभागिता भी आरोपित अभियुक्तगण के साथ प्रमाणित है। न्यायहित में रज्जन, रामनिवास व राकेश को अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु इस सत्र परीक्षण में तलब किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र पर इस सत्र परीक्षण के अभियुक्तगण द्वारा लिखित आपत्ति कागज संख्या-44 ब प्रस्तुत की गयी जिसमें कथन किया गया है कि इस मुकदमे में केवल वादी पी0 डब्लू0-1 का बयान हुआ है अन्य कोई गवाह वादी द्वारा पेश नही किया गया है विचारण हेतु तलब किये जाने वाले मुल्जिमान के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नही है जिसकारण विवेचक ने उन व्यक्तियों को मुकदमे से निकाल दिया तथा पी0 डब्लू0-1 नवलकिशोर के साक्ष्य के अवलोकन से भी रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया अपराध नही बनता है प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थनापत्र एवं आपत्ति पर विद्वान अधिवक्तागण के तर्को का श्रवण किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के माध्यम से रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार को वर्तमान सत्र

परीक्षण में अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी है। इस मुकदमे के एफ0आई0आर0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि एफ0आई0आर0 में इन व्यक्तियों के नाम बतौर अभियुक्त अंकित कराये गये थे। घटना का एफ0आई0आर0 घटना के दिन 9.15 बजे सुबह दर्ज करा दिया गया है तथा घटना 7.45 बजे सुबह की होने का कथन किया गया जिससे स्पष्ट है कि घटना का एफ0आई0आर0 त्वरित गति से थाने पर दर्ज कराया गया जिसमें रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार को अन्य अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। पी0 डब्लू0-1 नवलकिशोर का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 का अवलोकन किया इसमें भी वादी मुकदमा ने रज्जन, रामनिवास व राकेश को अपराध कारित करने के लिए नामित किया है। प्रार्थी/वादी मुकदमा का साक्ष्य न्यायालय में बतौर पी0 डब्लू0-1 के रूप में अंकित किया गया है। पी0 डब्लू0-1 ने न्यायालय के साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया कि-

"मेरे फुफेरे भाई के स्कूल पंडित रामकुमार मेमोरियल इंटर कालेज की मारूति वैन गाड़ी को आम रास्ते से निकलने से रामदेव उर्फ छन्नू, शिवसरन उर्फ छोटे, अमित, रज्जन, राकेश, रामनिवास रोकते थे। घटना दिनांक 17.10.14 की सुबह लगभग पौने आठ बजे की है। उस दिन उपरोक्त सभी लोग रामदेव के मकान के समाने सड़क से गाड़ी निकलने के लिये मना कर थे तब मैं, मेरे चाचा करन, रामप्रकाश, लवकुश, व मेरे पिता राधेश्याम रामदेव के दरवाजे के सामने सड़क पर गये। इन लोगों से हम लोगों ने कहा कि रास्ते से गाड़ी निकलने दीजिये आप लोग गाड़ी निकलने से क्यों रोक रहे हो। इस पर रामदेव उर्फ छन्नू, शिवसरन उर्फ छोटे, रज्जन, अमित, रामनिवास व राकेश हाथ में लिए हुए असलहों की बटों से हम लोगों को मारने लगे। मेरे पिता राधेश्याम घर की तरफ भागे यह सभी लोग उनके पीछे दौड़ पड़े और रास्ते में पड़े हुए ईटा पत्थर उठाकर चलाते रहे जब मेरे पिताजी अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचे तब सभी लोगों ने कहा कि घर के अन्दर न घुस पाये साले को गोली मार दो। मेरे पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो रामदेव ने मेरे पिता के गोली मार दी। गोली मारने के बाद सभी लोग हवाई फायर करते, गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मेरे पिता जी गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी।"

पी0 डब्लू0-1 का प्रतिपृच्छा बचावपक्ष के द्वारा की गयी। प्रतिपृच्छा में पी0 डब्ूलू0-1 ने मुख्य पृच्छा में किये गये उपरोक्त कथनों से विरोधाभाषी कथन नही किया है तथा प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई भी कथन नही किया है जिससे उसके द्वारा मुख्य पृच्छा में किये गये उपरोक्त कथनों पर इस स्तर पर अविश्वास किया जा सके। पी0 डब्लू0-1 के द्वारा एफ0आई0 आर0 दर्ज कराया गया एफ0आई0आर0 में भी पी0 डब्लू0-1 ने वही कथन किया है जैसा कि उसने अपने साक्ष्य में किया है। इस प्रकार पी0 डब्लू0-1 के साक्ष्य से इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि इस घटना में वर्तमान अभियुक्तगण रामदेव, छोटे उर्फ शिवसरन व अमित के साथ रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार भी घटनास्थल पर मौजूद थे एवं घटना कारित करने में सम्मिलित थे। विवेचना के दौरान रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार को इस मुकदमे से निकाले जाने के संबंध में विवेचक द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण आरोपपत्र में नही दिया गया है। जबकि वादी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में वादी द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों का अपराध में सम्मिलित होने का कथन किया गया है तथा उपरोक्त व्यक्तियों को इस घटना के संबंध में त्वरित गति से दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 में भी नामित किया गया है। ऐसे में विवेचक द्वारा इनके विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल न किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। वादी मुकदमा पी0 डब्लू0-1 का साक्ष्य इस स्तर पर

विश्वसनीय पाया जाता है जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि इस सत्र परीक्षण के वर्तमान अभियुक्तगण के साथ रज्जन, रामनिवास व राकेश भी इस घटना में सम्मिलित थे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2014 (1) जे0 आई 0 सी0 539 एस 0 सी0** में धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के संबंध में स्थापित किये गये विधि दृष्टान्तों का संज्ञान लेते हुए एवं केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि वर्तमान सत्र परीक्षण में रज्जन पुत्र रामपाल द्विवेदी, रामनिवास पुत्र अवधेश कुमार व राकेश कुमार पुत्र दयाशंकर को वर्तमान अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थी नवल किशोर (वादी मुकदमा) का प्रार्थनापत्र 43 ब अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 स्वीकार किया जाता है। रज्जन पुत्र रामपाल द्विवेदी, रामनिवास पुत्र अवधेश कुमार व राकेश कुमार पुत्र दयाशंकर को इस सत्र परीक्षण में अभियुक्त के तौर पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण रज्जन, रामनिवास व राकेश कुमार के विरूद्ध गैर जमानतीय गिरफतारी अधिपत्र जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 02.04.2018 को पेश हो।

(जयप्रकाश पाण्डे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-2,हरदोई।